

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 6662 वर्ष 2018

मंगल,उम्र लगभग 57 वर्ष, पे0 स्वर्गीय रामलाल नायक, निवासी-25, एम0पी0आई0, ट्रेकर
स्टैंड के नजदीक, सिरका, डाकघर-अर्गदा, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़

... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, रांची
2. महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, अर्गदा क्षेत्र, सिरका, रामगढ़
3. परियोजना अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिरका कोलियरी, अर्गदा, रामगढ़
4. स्टाफ ऑफिसर (पी एंड ए), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रामगढ़

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

10/13.01.2021 श्री सौरभ शेखर, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री
अमित कुमार सिन्हा, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान
में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने श्रेणी-V पीस रेटेड वर्कर से कैटेगरी-1 टाइम रेटेड वर्कर में स्थानांतरित होने एवं 234.01 रुपये की मजदूरी (पीस रेटेड एस0पी0आर0ए0 भत्ते को जोड़कर) प्रति पीस रेटेड वर्कर से 126.92-1.92-161.48 समय (दैनिक) रेटेड वर्कर के वेतनमान वर्ष 1990 में आने के कारण वेतन के नुकसान होने के कारण और उसके बाद एन0सी0डब्ल्यू0ए0 में निर्धारित स्लैव के अनुसार वेतन संरक्षण देने हेतु इस रिट याचिका को दायर किया है।

श्री अमित कुमार सिन्हा ने उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया है और प्रति-शपथ पत्र के पैरा 10 से 14 में गणना का वर्णन किया गया है।

जवाबी हलफनामे के पैरा 10 से 14 में दिए गए बयानों के मद्देनजर, रिट याचिका को निष्पादित किया जा रहा है। यदि याचिकाकर्ता जवाबी हलफनामे में प्रदान की गई गणना से संतुष्ट नहीं है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं0 3 के समक्ष आपत्ति दायर करने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी सं0 3 उक्त आपत्ति की एक प्रति प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा। जवाबी हलफनामे में बताई गई भर्ती गणना, यदि अभी तक भुगतान नहीं की गई है, तो आज से आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी की जाएगी।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)